



॥ सबका हो घर अपना, सच हुआ अब यह सपना ॥



प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत सम्पत्तियों का क्रेडिट लिंक सस्मिडी घटक में “प्रथम आगत-प्रथम प्रदत्त” के आधार पर कैम्प में आवंटन

दिनांक 17 एवं 18 जून 2017 को
लखनऊ, मेरठ एवं वसुंधरा गाज़ियाबाद में प्रातः 11:00 बजे से सांय 5:00 बजे
पूर्वनियत स्थान पर आयोजित होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता :- लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भाग में उसके नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर स्वयं का पक्का घर नहीं होना चाहिए। • विवाहित दम्पति के मामले में, पत्नी अथवा दोनों संयुक्त स्वामित्व वाले एकल घर के लिए स्कीम के अंतर्गत परिवार की आय सीमा (पात्रता) उस श्रेणी (यथा-ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी I, एमआईजी II) के लिए निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• लाभार्थी परिवार ने भारत सरकार की किसी आवास स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता न ली हो।

पात्रता नियम	ईडब्ल्यूएस	एलआईजी	एमआईजी I	एमआईजी II
पारिवारिक आय (रुपए प्रति वर्ष)	3,00,000 तक	3,00,001-6,00,000	6,00,001-12,00,000	12,00,001-18,00,000
ब्याज सस्मिडी के लिए पात्र आवास ऋण राशि (रुपए)	6,00,000	6,00,000	9,00,000	12,00,000
ब्याज सस्मिडी (%प्रतिवर्ष)	6.5%	6.5%	4%	3%
रिहायशी यूनिट कारपेट क्षेत्र	30 वर्ग मीटर	60 वर्ग मीटर	90 वर्ग मीटर	110 वर्ग मीटर

सम्पत्तियों का विवरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नोट: आयोजित कैम्प में ग्राहकों की सुविधा हेतु सम्बंधित सम्पत्ति प्रबन्धक, अधिशासी अभियन्ता एवं बैंक अधिकारी रहेंगे।

कैम्प में इच्छुक क्रेता सम्पत्ति पसंद आने की स्थिति में रु. 10,000 जमा कराकर सम्पत्ति होल्ड करा सकते हैं।

IS 15700:2005



सेवाएँ प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

Website : <http://www.upavp.com>; E-mail: info@upavp.com



डायल करें 1800-180-5333 (टोल-फ्री), 0522-2236803 यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक उपलब्ध है।



॥ सबका हो घर अपना, सब हुआ अब यह सपना ॥



प्रधानमंत्री आवास योजना

(शहरी) क्रेडिट लिंक सब्सिडी घटक के अन्तर्गत आवास एवं विकास परिषद द्वारा आयोजित कैम्प में सम्पत्तियों का निस्तारण

पूर्व में पंजीकृत पात्र व अर्ह ग्राहक भी वेबसाइट www.pmaymis.gov.in द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

योजना का नाम/ फ्लैट्स के प्रकार/ रिक्त फ्लैटों की अनुमानित संख्या (अप्रैल 2017 के विवरण अनुसार)	कैम्प का दिनांक/समय/स्थान	सम्बंधित सम्पत्ति प्रबन्धक	सम्बंधित अधिकारी
अवध विहार योजना, लखनऊ :- मंदाकिनी (2 बी.एच.के.) - 101 फ्लैट्स, (2 बी.एच.के.+स्टडी) - 9 फ्लैट्स, भागीरथी (3 बी.एच.के.) - 61 फ्लैट्स, (3 बी.एच.के.+सर्वेंट) - 10 फ्लैट्स, अलकनन्दा (2 बी.एच.के.+स्टडी) - 35 फ्लैट्स, (3 बी.एच.के.+सर्वेंट) - 71 फ्लैट्स, नन्दिनी (एफ 64 टाईप) - 33 फ्लैट्स, गंगात्री (एफ 64 टाईप) - 30 फ्लैट्स, जाहन्वी एन्क्लेव टाईप-ए (जी+3) - 137 फ्लैट्स, वरुणा एन्क्लेव ईडब्ल्यूएस (जी+3) - 26 फ्लैट्स, सरयू एन्क्लेव 1 बी.एच.के. टाईप-ए - 470 फ्लैट्स, 1 बी.एच.के. टाईप-बी - 81 फ्लैट्स, 2 बी.एच.के. टाईप-ए - 80 फ्लैट्स, गोमती एन्क्लेव 1 बी.एच.के. टाईप-ए - 17 फ्लैट्स, 1 बी.एच.के. टाईप-बी - 48 फ्लैट्स, 2 बी.एच.के. टाईप-ए - 141 फ्लैट्स, एस.बी.आई. एन्क्लेव 2 बी.एच.के. - 104 फ्लैट्स, 3 बी.एच.के. - 55 फ्लैट्स	03, 04 जून 2017 व 10, 11 जून 2017/ 11:00 बजे से/ से0-9, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ	श्री आर.के.सिंह मो0 8795810666	श्री अनिल कुमार यादव संयुक्त आवास आयुक्त मो0 8795810020
राजाजीपुरम योजना, (मुन्नु खेड़ा) लखनऊ :- ईडब्ल्यूएस (जी+3) - 49 फ्लैट्स, एल.आई.जी. (जी+3) - 122 फ्लैट्स	उपरोक्त	श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव मो0 8795810719	
वृन्दावन योजना, 3,4 लखनऊ :- अरावली (2 बी.एच.के.) - 12 फ्लैट्स, (3 बी.एच.के.) - 309 फ्लैट्स, हिमालय (2 बी.एच.के.) - 90 फ्लैट्स, (1 बी.एच.के.) - 3 फ्लैट्स, कैलाश एन्क्लेव-2 बी.एच.के. - 517 फ्लैट्स, 3 बी.एच.के. - 113 फ्लैट्स, गोवर्धन एन्क्लेव-1 बी.एच.के. टाईप ए - 23 फ्लैट्स, 1 बी.एच.के. टाईप बी - 34 फ्लैट्स, 2 बी.एच.के. टाईप ए - 94 फ्लैट्स, 2 बी.एच.के. टाईप बी - 78 फ्लैट्स, एवरैस्ट (3 बी.एच.के.+एस., 4 बी.एच.के.+एस.) - 194 फ्लैट्स	उपरोक्त	श्री हेतम पाल सिंह मो0 879581049	
आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ :- आम्रपाली एन्क्लेव 1/2 बी.एच.के. टाईप-ए/बी - 854 फ्लैट्स	उपरोक्त	श्री मिर्जा जावेद कदर मो0 8795811426	
सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद :- गंगा/यमुना/हिण्डन/ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव 1 बी0एच0के0 (स्टिल्ट+20), 2 बी0एच0के0 (स्टिल्ट+18), 3 बी0एच0के0+स्टडी (स्टिल्ट+20), 3 बी0एच0के0+स्टडी+टेरिस 17वीं मंजिल पर, 4 बी0एच0के0+स्टडी (स्टिल्ट+20), पेन्ट हाउस डायमण्ड 19-20वीं मंजिल पर, 2 बी0एच0के0+स्टडी, 3 बी0एच0के0, पेन्ट हाउस रुबी 19-20वीं मंजिल पर - 656 फ्लैट्स, ईडब्ल्यूएस (जी+3) - 18 फ्लैट्स	03 व 04 जून 2017/ 11:00 बजे से/से0-16ए, आफिस कॉम्प्लेक्स, वसुन्धरा, गाजियाबाद एवं 10 व 11 जून 2017/11:00 बजे से/ आफिस कॉम्प्लेक्स, मण्डोला विहार योजना, मण्डोला, गाजियाबाद	श्री केशव राम मो0 9560556363	श्री महेन्द्र प्रसाद संयुक्त आवास आयुक्त मो0 09935837073
मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद :- आसरा टाईप-I/टाईप-II - 1379 फ्लैट्स, सपना टाईप-I/टाईप-II - 331 फ्लैट्स, गुल मोहर टाईप-I - 647 फ्लैट्स, गुल मोहर टाईप-II - 1930 फ्लैट्स, बहुमंजिला (2 बी.एच.के.) - 948 फ्लैट्स, बहुमंजिला (2 बी.एच.के.+स्टडी) - 572 फ्लैट्स, बहुमंजिला (3 बी.एच.के.) - 324 फ्लैट्स, ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स - 58 फ्लैट्स			
जागृति विहार विस्तार योजना, मेरठ :- एस.एफ.एस. 2012 (एफ-32 टाईप) - 120 फ्लैट्स, (एफ-45 टाईप) - 45 फ्लैट्स, (एफ-100 टाईप) - 28 फ्लैट्स, (एफ-128 टाईप) - 29 फ्लैट्स, एस.एफ.एस. 2014 (एफ-32 टाईप) - 33 फ्लैट्स, (एफ-64 टाईप) - 17 फ्लैट्स, एस.एफ.एस. 2015/2016 (एफ-32 टाईप) - 277 फ्लैट्स, (एफ-57 टाईप) - 262 फ्लैट्स, (एफ-64 टाईप) - 117 फ्लैट्स	03, 04 जून 2017 व 10, 11 जून 2017/11:00 बजे से/आफिस कॉम्प्लेक्स, से0-9, शास्त्री नगर, मेरठ	श्री अशोक कुमार गोयल मो0 8795810817	
सिकन्दरा योजना, आगरा :- ग्रीन एन्क्लेव एस.एफ.एस. फ्लैट्स - 76 फ्लैट्स	03, 04 जून 2017 व 10, 11 जून 2017/11:00 बजे से/शांति कम आफिस को, से0-9, सिकन्दरा योजना, आगरा	श्री के.सी. त्रिपाठी मो0 7705003242	श्री जय प्रकाश उप आवास आयुक्त मो0 8795810014
कानपुर योजना नं0 1/3, कानपुर :- ब्रह्मावर्त एन्क्लेव/ गंगा एन्क्लेव (जी+3) फ्लैट्स, 3 बी0एच0के0 टाईप I/II, 2 बी0एच0के0 टाईप I/II+स्टडी - 264 फ्लैट्स	03, 04 जून 2017 व 10, 11 जून 2017/11:00 बजे से/आफिस कॉम्प्लेक्स, अर्बेडकपुरम, कानपुर	श्री डी.के. शुक्ला मो0 8795810721	श्री लक्ष्मण प्रसाद उप आवास आयुक्त मो0 8795810015

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता :- • लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भाग में उसके नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर स्वयं का पक्का घर नहीं होना चाहिए। • विवाहित दम्पति के मामले में, पत्नी अथवा दोनों संयुक्त स्वामित्व वाले एकल घर के लिए स्कीम के अन्तर्गत परिवार की आय सीमा (पात्रता) उस श्रेणी (यथा-ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी I, एमआईजी II) के लिए निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। • लाभार्थी परिवार ने भारत सरकार की किसी आवास स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता न ली हो।

प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास स्कीम में लाभार्थी हेतु पात्रता नियम

विवरण	ईडब्ल्यूएस	एलआईजी	एमआईजी I	एमआईजी II
पारिवारिक आय (रुपए प्रति वर्ष)	3,00,000 तक	3,00,001-6,00,000	6,00,001-12,00,000	12,00,001-18,00,000
ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र आवास ऋण राशि (रुपए)	6,00,000	6,00,000	9,00,000	12,00,000
ब्याज सब्सिडी (% प्रतिवर्ष)	6.5%	6.5%	4%	3%
रिहायशी यूनिट कारपेट क्षेत्र	30 वर्ग मीटर	60 वर्ग मीटर	90 वर्ग मीटर	110 वर्ग मीटर

इन ऋणों के अन्तर्गत लाभ 20 वर्ष की अधिकतम ऋण अवधि के लिए उपलब्ध है।

नोट :- आयोजित कैम्प में ग्राहकों की सुविधा हेतु निम्नलिखित अधिकृत व्यक्ति उपलब्ध रहेंगे जो फ्लैट के रजिस्ट्रेशन धनराशि, मूल्य, भुगतान पद्धति तथा आवंटन आदि की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। 1. सम्बंधित सम्पत्ति प्रबन्धक 2. सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता 3. ऋण की जानकारी हेतु बैंक अधिकारी

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राहकों की सुविधा हेतु सूडा द्वारा अधिकृत :- श्री अतुल सिंह-मो0 8573002097

श्री पंकज कुमार पाल (अधिशासी अभियन्ता) -मो0 8795810210

आवास आयुक्त



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Website: <http://www.upavp.com>; E-mail: info@upavp.com



परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निवारण हेतु **जन सुविधा केन्द्र** की स्थापना की है

हायल कर्नेट 1800-180-5333 (टोल-फ्री), 0522-2236803 यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस दिसर्में आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज कर सकते हैं। में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

उपरोक्त सम्पत्तियों को "प्रथम आगत-प्रथम प्रदत्त" के आधार पर आवंटित किया जायेगा।